तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
27.11.18	वकील वादी उपस्थित। विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी तारीखी 31.8.18 तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 31.8.18 एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 30.7.18 पर सुनी गई थी जिसके आदेश हेतु पत्रावली पेश हुई। सर्वप्रथम जहां तक वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी का प्रश्न है उस प्रार्थना पत्र का कोई उत्तर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण प्रार्थनापत्र का जबाव प्रस्तुत करने के बजाय प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 4, 7 लगायत 13 की ओर से दो जबाव दावे पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर विद्वान अभिभाषक वादी की आपत्ति है कि अब प्रस्तुत किये गये जबाव दावे को रिकार्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादीगण को अवधि अन्तर्गत जबाब दावा प्रस्तुत करने चाहिए थे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय की अनुमति से जबाव दावे के समय को आगे बढाये जाने की स्वीकृति लेनी चाहिए थी मगर ऐसा कोई स्टेप प्रतिवादीगण की ओर से नहीं लिया एवं कोई कारण भी निर्धारित अवधि में जबाव दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने का बतलाया गया। बकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2008 (3) एससी पेज 1084 में पारित किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावों को रिकार्ड पर लिये जाने का कोई आधार नहीं है इसलिए वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 31.8.2108 एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 30.7.2018 का प्रश्न है तो उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष में प्रार्थना पत्रों पर गौर किया तो पाया कि प्रतिवादी नं0 2, 5 स्व0 पूरन के वारिसान हैं तथा प्रतिवादी नं0 6 स्वर्गीय बाबू के वारिस हैं। चूँकि स्व0 पूरन एवं बाबू दौनों ही विवादित आराजीयात के संवंध में अपने अधिकार खातेदारी वादिया के पक्ष में दिनांक 26.9.01 को जरिये पंजीकृत विकय अभिलेख विकय कर चुके हैं ऐसी स्थिति में उनके तमाम अधिकार वादिया को प्राप्त हो चुके हैं इसलिये स्व0 पूरन एवं बाबू के वारिसान में से अगर किसी का निधन भी हो जाता है तो इस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता। अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे को रिकार्ड पर नहीं लिया गया इसलिए एक पक्षीय तौर पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई करते हुए दावा वादिया डिकी किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिकी पृथक से बनाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामील व तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज)	

Scanned by CamScanner